समक्ष माननीय श्री न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

R 158-I-17

पुनरीक्षण क्र./

अच्छे लाल यादव तनय श्री हल्लूयादव निवासी
नयाखेरा तह.वजिला टीकमगढ म.प्र.

..पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

लल्लू तनय पन्चू पाल निवासी ग्राम नयाखेरा
तह.व जिलाटीकमगढ म.प्र.

..अनावेदक

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ कप्रकरण क्र. 7/अपील /16-17 मे पारित आदेश दिनांक28/11/2016 केविरुद्ध अंतर्गतधारा 50 म०प्र० भू०रा०सं० 1959

महोदय,

1. पुनरीक्षणकर्ता/ अपीलार्थी ने एक अपील तहसीलदार टीकमगढ के प्र०क्र० 1620/बी121/12-13 आदेश दिनांक 26/2/2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की थी क्योंकि उक्त पट्टा फर्जी तरीके से तैयार कर आय,जाति ,निवास के दायरा रजिस्टर मे अंकित किया गयाहै जिसकी अपीलार्थी के द्वाराभारी खोजतलासी की गयी और उसे उसने म.प्र. शासन कलेक्टर कार्यालय जिला टीकमगढ के यहां जनसुनवाई मे एकआवेदन दिया था जिसका प्र०क्र०170252दिनांक 22/6/2016हैउक्तआवेदन पर तहसीलदार टीकमगढ कोजानकारी हेतु लिखागया था जो दिनांक 30/8/16 को तहसीलदार ने लिखित मे प्रस्तुत किया किपटवारी हल्का द्वारा जांच कराने पर पाया गया कि उक्त पट्टा इस कार्यालय से जारी होना नही पाया गया जब आवेदक को तहसीलदार ने यह लिख कर दिया तब अपीलार्थी ने आखिर खोज तलासी की किसही पट्टा दायरा पंजी मे वर्ष 12-13 केकिसका दर्ज है तब विधीवत तरीके से आवेदकको दायरा पंजी की नकल प्राप्तहुईजिसमे उक्तपट्टा मौजा रानीपुरा के मोतीलाल तनय सरिया चढार का पाया गया अपीलार्थी ने उक्त पट्टा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के यहां प्रस्तुत किया था जो प्रमाणित प्रति थीपरंतु अनुविभागीय अधिकारी के पेशगार ने उक्त पट्टा एवं दायरा पंजी हस्ताक्षर कर वापिस कर दिए क्योंकि उक्त अवैध कृत्य मे जो

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.- 158-एक/ 2017 जिला-टीकमगढ़

अच्छे लाल यादव विरूद्ध लल्लू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम.पी. भटनानगर उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के क्रमांक 7/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28-11-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगड़ के द्वारा ही पुनरीक्षण	

2.1.19

याचिका का निराकरण किया जाना होगा।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगड़ को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगड़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगड़ के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.के. जैन) 2.1.19
सदस्य